कार्यालय : जिला कलेक्टर, लखनऊ

पत्रांक : 364 /अ.जि.अ.(भू.अ.)न.म.पा.–1, लखनऊ   दिनांक : 06 अगस्त 2018

: सार्वजनिक सूचना :

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेट्रो रेल कारपोरेशन, लखनऊ हेतु 3 ग्रामों की भूमि का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

प्रस्तावित भूमि के अर्जन से पूर्व ''भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013'' एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016'' के अनुसार सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना, गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ द्वारा तैयार की गई है।

2: भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम की धारा 5 तथा भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार (उत्तर प्रदेश) नियमावली 2016 के नियम 7 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार सामाजिक समाघात ऑकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रबन्धन योजना पर निम्नवत् अधिकारियों द्वारा निम्नांकित दिये गये स्थान, दिनांक व समय के अनुसार लोक सुनवाई की जानी है:–

क्रम सं	लोक सुनवाई हेतु नामित अधिकारी	ग्राम का नाम	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
1	उप जिलाधिकारी, सदर, लखनऊ	हाता रसूल खां, कनौसी	कक्ष सं0 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ	22.8.2018	पूर्वान्ह 11:00 बजे
2		शेखपुर कसैला	कक्ष सं0 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ	22.8.2018	पूर्वान्ह 12:00 बजे
3	उप जिलाधिकारी सरोजनी नगर, लखनऊ	फर्रूखाबाद चिल्लांवा	कक्ष सं0 33, कलेक्ट्रेट, लखनऊ	22.8.2018	पूर्वान्ह 01:00 बजे

उपरोक्तानुसार अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार वर्णित भूमि के सम्बन्ध में सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना का अवलोकन करले और यदि उक्त सामाजिक समाघात आकलन रिपोर्ट (Social Impact Assessment) व सामाजिक समाघात प्रवन्धन योजना पर उन्हे यदि कोई आपत्ति/सुझाव है तो वह अपनी आपत्ति/सुझाव उपरोक्तानुसार नियत दिनांक/समय व स्थान पर उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है।

(कौशलराज शर्मा)
जिलाधिकारी, लखनऊ।